सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांक 311/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनाक 16/10/2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

विषय— महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में "मिशन शक्ति" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0— 5120/सत्तर–3–2020–08(51)/2020 दिनांक 15 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा आगामी नवरात्र की शुभ तिथियो मे महिलाओ एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनाक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओ एव बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट एव महिला अपराध सम्बन्धी कानूनो का वृहद् प्रचार–प्रसार के लिये एक विशेष अभियान सचालित किए जाने के निदेश प्राप्त हुए है तथा तदुपरान्त व्यापक स्वरुप प्रदान करते हुये महिलाओ एव बालिकाओ की सुरक्षा एव सम्मान हेतु सचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एव बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निदेश प्राप्त हुये है।

उक्त कम मे मा0कुलपति जी के आदेशानुसार निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया शासन द्वारा प्रेषित कार्ययोजना (सलग्न) के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर

पृष्ठाक एव दिनांक— उपरोक्त।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित—
1 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एव बस्ती मण्डल।
2 डॉ0 दिनेश प्रसाद, वाणिज्य विभाग, सि0वि0वि0।
3 डॉ0 प्रज्ञेश नाथ त्रिपाठी, अर्थशास्त्र विभाग, सि0वि0वि0।
4 डॉ0 सतोष सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, सि0वि0वि0।
5 निजी सचिव मा0 कुलपति जी को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3 सम्बधित फाइल।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 5120 / सत्तर- 3_ 2020–08(51) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

3. **कुलसचिव**
   समस्त निजी विश्वविद्यालय
   उत्तर प्रदेश।

4. **विशेष कार्याधिकारी** एव राज्य सम्पर्क **अधिकारी,**
   राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ
   उच्च शिक्षा विभाग।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग–3</u>   <u>लखनऊ</u> : दिनांक 15 <u>अक्टूबर, 2020</u>

विषय– महिलाओ एव बालिकाओं की सुरक्षा एव सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश मे मिशन शक्ति संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अवगत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियो मे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक **17.10.2020** से **25.10 2020** तक **महिलाओ** एव बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एव आत्म सुरक्षा तथा **पोक्सो** एक्ट एवं **महिला** अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद प्रचार–प्रसार के लिये एक विशेष अभियान सचालित किए जाने के निदेश प्राप्त हुए थे। तदुपरान्त व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये **महिलाओ** एव **बालिकाओ** की सुरक्षा एव सम्मान हेतु सचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एव बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निदेश पाप्त हुये है।

इस सम्बन्ध मे मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नक:–यथोक्त।**</u>

भवदीया,

(मोनिका एस॰ गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 5120 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
3 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4 श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अंशुमाली शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करायें।
5 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6 श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

उच्च शिक्षा विभाग
मिशन शक्ति कार्ययोजना

1– शारदीय नवरात्र दिनांक 17–25 अक्टूबर हेतु कार्यक्रम

दिनांक 17.10.2020– अपरान्ह 3 से 5 बजे
उच्च शिक्षा विभाग से मिशन शक्ति का मेगा लान्च

- हर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के साथ [illegible] करके मिशन शक्ति उद्देश्यों एवं रूपरेखा की जानकारी [illegible] विशेष अभियान के माध्यम से छात्रों व अध्यापकों के लिये जागरूकता [illegible] एवं बाल मनोविज्ञान के संबंध में समझ विकसित किये जाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की जायेगी।
- विषय विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षकों का अभिमुखीकरण [illegible] विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से साइबर [illegible] लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पाक्सो एक्ट, महिला हेल्पलाइन 1090, 108 [illegible] 112, 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी एवं अन्य प्रचलित [illegible] संबंध में जानकारी दी जायेगी।
- अभियान के दौरान NSS एवं NCC का सहयोग किस प्रकार लिया जाय [illegible] रूपरेखा भी तैयार की जायेगी।
- उस सत्र में सभी प्राध्यापकों [illegible] शपथ' ली जायेगी, जिसका प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक [illegible])
- साथ ही महाविद्यालयों के शिक्षकों को बताया जायेगा कि [illegible] दौरान किस प्रकार उन्हें अपनी छात्राओं के साथ परामर्श सत्रों (Counselling sesions) का आयोजन करना चाहिये।

दिनाक 18 एवं 24 अक्टूबर 2020

- हर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्र-छात्राओं एवं [illegible] अभिभावकों के साथ उक्त तर्ज पर ही एक घण्टे के वेबिनार आयोजित किये जायेंगे।
- इनमें महिला सुरक्षा एवं महिला सम्मान के [illegible] जायेगी।
- छात्रों को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाई जायेगी कि [illegible] का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। [illegible] है।

- इसी प्रकार अभिभावको को भी संलग्नक-1 के अनुसार शपथ दिलाई जायेगी कि वे बेटा और बेटी मे भेदभाव नहीं करेगे।

दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020

- हर विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय प्रति दिन प्रात 10 से 10.30 तक बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्द्धन एव पोषण के प्रति जागरूकता,विशेष रूप से कोविड -19 के दृष्टिगत इम्यून सिस्टम वर्द्धन हेतु सजग एव जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमालाओ एव निबन्ध/स्लोगन/पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
- विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय प्रत्येक दिन साय 5 से 6 तक छात्राओं को आपातकाल मे आत्मसुरक्षा हेतु प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान करेगे। विश्वविद्यालयो एव महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षको/राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी/रोवर रेजर्स प्रभारी/एन0सी0सी0 प्रभारी का सहयोग लिया जायेगा।
- दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा जूम/यू-ट्यूब के माध्यम से दिया जायेगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरो द्वारा दिनाक 19-23 अक्टूबर के मध्य 10 लाख से अधिक छात्राओ को आत्मसुरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जायेगा।

दिनांक 24 एव 25 अक्टूबर, 2020

NCC एव NSS के स्वयंसेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एव सम्मान । ... प्राविधानो एव योजनाओ के सबध मे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे और बालको को एव अभिभावको को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाई जायेगी। NSS, भारत स्काउट एव गाइड, NCC, युवामण्डल दल, स्कूल व कालेज की छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता एव उन्हे साइबर सुरक्षा एव लैंगिक हिंसा की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जायेगा।

दिनाक 17-25 अक्टूबर, 2020 के मध्य संचालित मिशन शक्ति की गतिविधियो की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है। निदेशक उच्च शिक्षा इसके प्रारूप विकसित करके सभी विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें। विश्वविद्यालयों एव महाविद्यालयो द्वारा अपलोड ई कन्टेन्ट के प्रारम्भ मे 'मिशन शक्ति' के लोगो को प्रदर्शित किया जायेगा ... बालिका सुरक्षा शपथ भी प्रदर्शित की जायेगी।

2– महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु अनवरत अभियान का कार्यक्रम

अभियान का और व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए महिलाओ व बालेकाओ की सुरक्षा एव सम्मान हेतु सचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने एव बीच-बीच मे विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हे, ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सकें। इस अभियान को इस रुप मे गतिमान रखा जाना है जिससे शासन/प्रशासन के सामान्य कार्यकलाप प्रभावित न हो।

इस अवधि मे विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय हर सोमवार को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाना सुनिश्चित करेगें और महिलाओ की सुरक्षा, सम्मान एव स्वास्थ्य/पोषण हेतु प्रचलित विधिक प्राविधानों एव सरकारी योजनाओं पर चर्चा हेतु आधे घण्टे का सत्र आयोजित करेगें।

<u>परामर्श सत्रों (Counselling sesions)</u>

प्रत्येक विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय मे छात्राओ को निरन्तर परामर्श प्रदान करने हेतु व्यवस्था बनाई जायेगी। इस हेतु महिला प्राध्यापकों को नामित किया जायगा, जो सप्ताह के निर्धारित एक दिन उनकी समस्याओ को सुनकर उनसे बातचीत करेंगी। इस हेतु यूनीसेफ, NSS कार्यकर्ताओं के साथ ही जनपदो मे तैनात socio-psycho counselors एव मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकता है।

अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा प्रारूप विकसित करके 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें । इस अवधि की साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा पाक्षिक समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायगी और समीक्षा आख्या निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय द्वारा शासन को हर माह की 1 एव 16 तारीख को प्रेषित की जायेगी। शासन (अनुभाग 3) द्वारा मासिक प्रगति आख्या मुख्य सचिव, मा0 राज्यमत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी एव मा0 मुख्यमत्री जी के सज्ञानार्थ हर माह की 3 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

<u>सामान्य निर्देश</u>

1. मिशन शक्ति के पूरे अभियान हेतु निदेशालय स्तर पर डॉ0 राजीव पाण्डेय, सयुक्त शिक्षा निदेशक एव शासन स्तर पर डॉ0 अशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करेगे तथा उक्त कार्यक्रमो का पर्यवेक्षण करेगें।

3. जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेगे जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो एव स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाना सुनिश्चित करेगा।
4. मिशन शक्ति के अन्तर्गत समाज मे जागरूकता लाने महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु सचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रसार-प्रचार हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्ययोजना तैयार करके उसका कियान्वयन कराया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय अपनी गतिविधियो की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय तथा प्रमुख समाचार पत्रो मे प्रकाशित करायेगे। व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक,इन्स्टाग्राम आदि सोशल मीडिया [illegible] किया जायेगा। अच्छी सक्सेज स्टोरीज एवं [illegible] जायेगा।
6. कार्यकम से सम्बन्धित डाक्यूमेंटेशन, आडियो, वीडियो, क्लीपिंग पोस्टर, फोटोग्राफ एवं आख्या को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी संकलित कर निदेशालय की ई-मेल0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे।

सलग्नक 1

बालिका सुरक्षा शपथ

अभिभावकों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में

मै शपथ लेती/लेता हूँ

कि मै अपने बेटे और बेटी में

किसी प्रकार का भेदभाव नही करूँगी/करूंगा।

मै अपने बच्चो को बचपन से ही

जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगी/सिखाऊंगा।

और उन्हे सही और गलत का भेद

बताऊँगी/बताऊँगा

जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को

स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को

कहती/कहता हूं

उसी प्रकार अपने बेटे को

अनुशासन मे रखते हुए

उसकी भी दैनिक गतिविधियो का

पूरा ध्यान रखूँगी/रखूंगा।

जयहिन्द

बालिका सुरक्षा शपथ

छात्रों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप मे

मै शपथ लेता हूँ कि

सदैव बालिकाओ व महिलाओं का सम्मान करूँगा

और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा।

मै प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से

अपने कृत्यो,

शब्दो

तथा कर्मो से

किसी बालिका एव महिला के अधिकारों एव मर्यादा

का हनन नही होने दूँगा।

मै शपथ लेता हूँ कि

मै बालिकाओ एव महिलाओ को

उनके विकास के लिए

समान अवसर प्रदान करने मे

अपना पूरा योगदान दूँगा।

जयहिन्द